राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6084/2022

नरेन्द्र कुमार लुहाना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राधाकिशनपुरा (218589), जालसू, जयपुर।
6. सूरवीर सिंह नाथावत, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर कार्यरत एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राधाकिशनपुरा (218589), जालसू, जयपुर में पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.11.2022
आदेश की दिनांक : 09.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओजला, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राधाकिशनपुरा, जालसू, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Barodakan, कठूमर, अलवर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का पुत्र जो 55 प्रतिशत लोको मोटर जो Cerebral Palsy से दिव्यांग है, जिसका निरंतर उपचार भी चल रहा है, जो

अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के दो पुत्र हैं, जो अपीलार्थी के साथ रहते हैं। अपीलार्थी की पत्नी जो अपने माता–पिता के साथ जोधपुर रहती है और हिन्दू विवाह विच्छेदन अधिनियम के तहत मामला फैमिली कोर्ट में लम्बित है। इस प्रकार अपीलार्थी के दोनो पुत्र अपीलार्थी पर ही निर्भर है और अपीलार्थी द्वारा ही उनकी देखभाल की जा रही है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राधाकिशनपुरा, जालसू, जयपुर में कार्यरत है। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पुत्र जो 55 प्रतिशत लोको मोटर जो Cerebral Palsy से दिव्यांग है, जिसका निरंतर उपचार भी चल रहा है, जिसकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा ही की जा रही है। चूंकि पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेदन मामला लम्बित होने से अपीलार्थी की पत्नी भी अपीलार्थी के साथ नहीं रहती है। इस प्रकार मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 27.09.2022 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation)

स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)